

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3575
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सांसद आदर्श ग्राम योजना

3575. डॉ.बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत कुल कितनी ग्राम पंचायतों को गोद लिया गया है;
- (ख) क्या एसएजीवाई चयनित ग्राम पंचायतों का विकास करने में प्रभावी रही है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार का उक्त योजना को वर्ष 2025 के आगे भी जारी रखने का विचार है;
- (ङ) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत 18वीं लोक सभा के सदस्यों को भी शामिल करने का विचार है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महाराष्ट्र राज्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत कुल 262 ग्राम पंचायतों (जीपी) को अपनाया गया है। इसका चरण-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख)और (ग): सांसद आदर्श ग्राम योजना अपनाई गई ग्राम पंचायतों में सर्वांगीण विकास की शुरुआत करने में प्रभावी रही है। एसएजीवाई का उद्देश्य उन प्रक्रियाओं को गति प्रदान करना है जिनसे पहचान की गई ग्राम पंचायतों का समग्र विकास होता है ताकि बेहतर बुनियादी सुविधाओं, उच्च उत्पादकता, मानव विकास संवर्धन, बेहतर आजीविका अवसर, असमानताओं में कमी, अधिकारों और हकदारियों तक पहुंच, व्यापक सामाजिक एकजुटता के माध्यम से जनसंख्या के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार किया जा सके। भारत सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। महाराष्ट्र में अपनाई गई ग्राम पंचायतों में कुल 5541 कार्यकलाप/परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

(घ)से (च): एसएजीवाई के तहत ग्राम पंचायतों की पहचान 31 मार्च, 2024 को पूरी कर ली गई है और वर्तमान में योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित संख्या 3575 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	चरण	एसएजीवाई के तहत पहचान की गई ग्राम पंचायतों की संख्या
1	चरण I (2014-16)	70
2	चरण II (2016-18)	46
3	चरण III (2018-19)	13
4	चरण IV (2019-20)	41
5	चरण V (2020-21)	24
6	चरण VI (2021-22)	23
7	चरण VII (2022-23)	25
8	चरण VIII (2023-24)	20
	कुल	262
